इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक ४ अगस्त २०१५—श्रावण १३, शक १९३७

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 4234-242-इक्कीस-अ.(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 अगस्त 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१५

विषय-सूची

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- २. धारा ४-क का संशोधन.
- ३. धारा १० का संशोधन.
- ४. धारा १४ का संशोधन.
- ५. धारा १६-क का संशोधन.
- ६. धारा १८ का संशोधन.
- ७. धारा २९ का संशोधन.
- ८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक ४ अगस्त, २०१५ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ४ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.
 - (२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ४ के खण्ड (दो), धारा ६ और धारा ७ के उपबंध १ अप्रैल, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे;
 - (ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध ८ जून, २०१५ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

धारा ४-क का संशोधन. २. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४-क में, उपधारा (३) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात:—

''परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालाविध के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, एक बार में अधिकतम छह कलेण्डर मास की कालाविध के लिए स्थगन में वृद्धि करेगा.''.

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) में, खण्ड (ङ) के पश्चात्, उप-खण्ड (एक) में, अंक और शब्द ''४ प्रतिशत की दर'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''५ प्रतिशत की दर'' स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

- ४. मूल अधिनियम की धारा १४ में,—
 - (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (६) में, द्वितीय प्रभाग (डिवीजन) में, मद (दो) में, अंक और शब्द ''४ प्रतिशत'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''५ प्रतिशत'' स्थापित किए जाएं;
 - (दो) उपधारा (१क ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(१क झ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रिजस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है, और इस प्रकार क्रय किए गए टेलीफोन, सेल्यूलर हैन्ड सेट तथा फेबलेट, पान मसाला और गुटका (तम्बाकू रहित) का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है, तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालाविध के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.'';
 - (तीन) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, अंक और शब्द ''४ प्रतिशत की दर से'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''५ प्रतिशत की दर से'' स्थापित किए जाएं.

५. मूल अधिनियम की धारा १६-क में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात:-

धारा १६-क का संशोधन.

"(ξ) इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरिसत किसी अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकृल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ के अधीन रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध दायित्वों के, जिसमें कर और ब्याज / शास्ति की बकाया शामिल है, राज्य सरकार की उद्योग संवर्द्धन नीति के उपबंधों के अनुसार निराकरण हेतु योजना बना सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रूग्ण अथवा बंद औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है—

- औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा संदर्भित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी (एक) की औद्योगिक इकाई, जो प्रबंधन के परिवर्तन के माध्यम से अधिग्रहण अथवा बी. आई. एफ. आर. द्वारा परिसमापन की सिफारिश के अनुसरण में परिसमापन के अधीन औद्योगिक इकाई के आधिकारिक परिसमापक से क्रय के पश्चात् पुनर्वासित किए जाने के लिए है या वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के अधीन किसी वित्तीय संस्था, राज्य शासन के किसी निगम, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या मध्यप्रदेश वित्त निगम से क्रय की गई वृहद् / मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाई:
- (दो) राज्य में स्थित वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां जिनके मामले रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९८५ के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के समक्ष विचाराधीन हैं और बोर्ड उनके पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना तैयार कर रहा है या तैयार कर ली है:
- लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति के अधीन "मध्यप्रदेश लघु (तीन) उद्योग पुनर्जीवन योजना'' स्वीकृत की गई है.''.

६. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (घ) में, शब्द ''पचास हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् एक हजार रुपये प्रतिदिन की राशि" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम तीस दिवस के व्यतिक्रम के लिए पचास रुपये प्रतिदिन की राशि तथा उसके पश्चात् पांच सौ रुपये प्रतिदिन की राशि" स्थापित किए जाएं.

धारा १८ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (५ख) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की धारा २९ का संशोधन. जाए, अर्थात:-

''(५ग) इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब किसी व्यापारी की किसी इकाई का कारबार उसी व्यापारी की किसी अन्य इकाई में समामेलित किया जाता है, और वह प्रत्येक ऐसी इकाई के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है तो ऐसे समामेलन की तारीख को समामेलित होने वाली इकाई द्वारा धारित माल, जिसमें प्लान्ट एवं मशीनरी शामिल है, का अंतरण समामेलित इकाई में हुआ समझा जाएगा और समामेलित इकाई ऐसे समामेलन की तारीख को असमायोजित रहने वाली आगत कर रिबेट का जमा लेने का हकदार होगी.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

- ८. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ३ सन् २०१५) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.
- (२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 4235-242-इक्कीस-अ.(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 15 of 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2015

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of Section 4-A.
- 3. Amendment of Section 10.
- 4. Amendment of Section 14.
- 5. Amendment of Section 16-A.
- 6. Amendment of Section 18.
- 7. Amendment of Section 29.
- 8. Repeal and savings.

MADHYA PRADESH ACT No. 15 of 2015

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2015

[Received the assent of the Governor on the 4th August, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th August, 2015]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2015.

- (2) (a) The provision of cause (ii) of Section 4, Section 6 and Section 7 of this Amendment Act shall be deemed to have come into force from 1st April 2015;
- (b) The remaining provisions of this Amendment Act shall be deemed to have come into force from 8th June 2015:
- 2. In Section 4-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (3), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

Amendment of Section 4-A.

"Provided that where such appeal is not so disposed off within the said period of stay as specified in the order of stay, the Appellate Board shall, on an application made in this behalf by the dealer and on being satisfied that the delay in disposing of the appeal is not attributable to the dealer, extend the stay for a maximum period of six calendar months at a time.".

3. In Section 10 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (e), in sub-clause (i), for the words and figure "the rate of 4 percent", the words and figure "the rate of 5 percent" shall be substituted.

Amendment Section 10.

of

of

4. In Section 14 of the principal Act,—

Amendment Section 14.

- (i) in sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (6), in second division, in item (ii), for the figure and word "4 percent", the figure and word "5 percent" shall be sustituted:
- (ii) after sub-section (1AH), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(1AI) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases telephone, cellular hand set and phablet, pan masala and gutka (without tobacco) as specified in Part-IIIA of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax and sells the telephone, cellular hand set and phablet, pan masala and gutka (without tobacco) so purchased within the State of Madhya Pradesh, he shall claim and be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.";
- (iii) in sub-section (5), in clause (a), in sub-clause (i), for the words and figure "at the rate of 4 percent", the words and figure "at the rate of 5 percent" shall be substituted.
- 5. In Section 16-A of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:

Amendment of Section 16-A.

"(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or the Acts repealed by this Act, the State Government may make a scheme to liquidate the liabilities including arrears of tax and interest / penalty, under the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958, the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, the Madhya Pradesh Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 administered by the Commercial Tax Department, against the sick or closed industrial units, in accordance with the provisions of the Industrial Promotion Policy of the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, "the sick or closed industrial unit" means-

(i) the large and medium scale industrial units referred by the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for being rehabilitated after acquisition/ takeover through change of management or by way of purchase from official liquidator of industrial unit under liquidation pursuant to recommendation for winding up by BIFR or the large / medium scale industrial units purchased under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002), from a financial institution, a State Government Corporation, Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation or Madhya Pradesh Financial Corporation;

- (ii) the large and medium scale industrial units situated in the State, whose cases are under consideration befor the Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 and the Board is preparing or has prepared rehabilitation scheme for their rehabilitation;
- (iii) the small scale industrial unit in respect of which "Madhya Pradesh Small Scale Industries Revival Scheme" under the Industrial Promotion Policy has been sanctioned.".

Amendment Section 18.

٥f

6. In Section 18 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (d), for the words "a sum of rupees fifty per day for first thirty days of default and thereafter a sum of rupees one thousand per day, subject to a maximum of rupees fifty thousand", the words "a sum of rupees fifty per day for first thirty days of default and thereafter a sum of rupees five hundred per day, subject to a maximum of rupees twenty five thousand" shall be substituted.

Amendment Section 29.

- 7. In Section 29 of the principal Act, after sub-section (5B), the following sub-section shall be inserted, namely:—
 - "(5C) Notwithstanding anything to the contrary contained anywhere else in this Act, when the business of a unit of a dealer is amalgamated into another unit of the same dealer and he holds separate registration certificate for each of such units, the goods including plant and machinery, held by the amalgamating unit on the date of such amalgamation shall be deemed to have been transferred to the amalgamated unit and the amalgamated unit shall be entitled to take credit of input tax rebate, which remains unadjusted on the date of such amalgamation.".

Repeal and savings.

- 8. (1) The Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 3 of 2015) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.